


हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व वाद संख्या 95/2014 अनवान खेतू बनाम सताराम

नम्बर व
तारीखअहकाम
जो इस हुकम
की तामील मे
जारी हुए


राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र महावार पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र महावार पर पत्रावली पेश हो।


सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

आदेश

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र महावार पर पेश हुई। वादीनी एवं प्रतिवागण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीनी को दिनांक 12.12.2015 से लगातार प्रतिवादीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीनी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रुची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीनी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

22.05.2018

